चित्रकूट-पुलिस

(1).

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 01.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा बीट प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस कार्यालय के चैंबर में थाना/चौकी में तैनात बीट पुलिस अधिकारियों की बीट बुक को चेक किया गया एवं बीट प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस रेगुलेशन के पैरा -63 के अनुसार कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हल्कों एवं बीट व्यवस्था में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया तथा बीट अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार जैसे ग्राम प्रहरियों का दायित्व,सी-प्लान एप का उपयोग,बीट क्षेत्र में लाइसेन्स धारकों,पासपोर्ट धारकों,सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम बीट बुक में दर्शाने,थाने पर प्राप्त सभी प्रकार के बीट सम्मन,नोटिस,वारण्ट, प्रार्थना पत्र जांच,चरित्र सत्यापन,विवेचना सम्बन्धित पासपोर्ट,तामिला,क्षेत्रीय त्यौहारों,हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों की चेकिंग, बीट क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन, संभावित विवादों के दृष्टिगत बीट सूचना अंकित कराने एवं अन्य बीट कार्य के सम्बन्ध में पूंछा गया तथा विस्तृत रूप से बताया गया।

(3). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री विनोद कुमार राय तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये व्हाट्सएप में आरटीओ चालान के नाम से भेजी गयी एपीके फाइल से 07 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 2 लाख 59 हजार 775 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध से पीडित 07 व्यक्तियों के साथ व्हाट्सएप में आरटीओ चालान के नाम से भेजी गयी एपीके फाइल से शिकार 07 पीड़ितो के कुल 2 लाख 59 हजार 775 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार राय,आरक्षी प्रशान्त कुमार, आरक्षी सर्वेश कुमार द्वारा अथक प्रयास करके कुल 07 पीडितों के कुल 2 लाख 59 हजार 775 रुपये बरामद कराया गया।

नागरिकों के जीवन में वर्तमान समय में इंटरनेट, मेल एवं सोशल मीडिया ने बड़ी जगह बना ली है, ऐसे में दिनचर्या एवं ऑफिस के कार्यों में प्रतिदिन हमें इसका उपयोग करना होता है लेकिन कुछ जालसाजों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट के साथ ही ईमेल अकाउंट हैक कर धनराशि मांगने की लगातार शिकायत मिल रही है इसी को लेकर चित्रकूट साइबर सेल ने नागरिकों हेतु एडवाइजरी जारी की है।

फ्रॉड के तरीका

वर्तमान में जालसाजों द्वारा साइबर अटैक कर आम नागरिकों के गूगल अकाउंट/जी-मेल आईडी हैक किये जा रहे हैं। हैकर द्वारा जी-मेल आईडी हैक करने के बाद पीड़ित का मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी चेंज कर और अन्य फर्जी मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी को अपडेट किया जा रहा है। ऐसा कर देने से पीड़ित अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे हैं। अकाउंट हैक हो जाने से पीड़ित को अपने मोबाइल हैंडसेट में सेव कॉन्टेक्ट्स दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि पीड़ित अपने जी-मेल अकाउंट का एक्सेस खो चुका होता है। जीमेल आईडी हैक हो जाने की पश्चात हैकर द्वारा पीड़ित के गूगल ड्राइव पर सेव फोटो, वीडियो कॉन्टेक्ट्स आदि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़ित के गूगल अकाउंट को अन्यत्र वेबसाइट पर रजिस्टर कर अपराध कार्य करने हेतु भी उपयोग में लाया जा सकता है।

यह सावधानी रखनी है

साइबर सेल प्रभारी चित्रकूट निरीक्षक श्री विनेद कुमार राय एवं उनकी टीम ने बताया कि अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए अनजान नंबरों से आए हुए कॉल पर कॉलर द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास ना करें, मोबाइल फोन में कोई भी संदिग्ध एप्लीकेशन या एपीके फाइल डाउनलोड ना करें व ही अपनी ओटीपी को अनजाने व्यक्ति से शेयर करे। ई-मेल टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के मैसेज में आयी नीले रंग की लिंक (यूआरएल) पर क्लिक न करें समस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकाउंट (जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि) पर टू-स्टेप वेरीफिकेशन ऑप्शन हमेशा इनेबल रखें। अपने गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी कोट्स को किसी के साथ शेयर ना करें। गूगल पासवर्ड कभी भी अपना मोबाइल नंबर या अपनी जन्म दिनांक ना रखें पासवर्ड हमेशा अल्फान्यूमैरिक ही रखें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड/अपराध घटित होता हो जाता है तो सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर साइबर पर अपनी शिकायत रजिस्टर करें।

(4). आज दिनांकः01.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यता में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव,कोऑपरेटिव बैंक चित्रकूट/बांदा अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल,क्षेत्राधिकारी यातायात श्री यामीन अहमद,पीटीओ श्रीमती दीप्ती त्रिपाठी की उपस्थिति में बीना हेलमेट का चालान किये गये चालकों को लॉटरी के माध्यम से 25 हेलमेट वितरण कर यातायात माह का समापन समारोह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) शिवरामपुर में आयोजित किया गया । कार्यक्रम का संचालन केशव सिंह भोले द्वारा किया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा विकास सेवा संस्थान के संस्थापक डॉ0 प्रभाकर सिंह,समाजसेवी/सभासद श्री शंकर यादव के उत्कृष्ट कार्यो,यातायात जागरूकता कार्यक्रम में सहोयग प्रदान करने पर प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

यातायात माह 2025 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पुरे माह जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद चित्रकूट के थानों एवं यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का प्रचार प्रसार करते हुए आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए पंपलेट, हैंडबिल व स्टिकर वितरित किए गए एवं सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग तथा बैनर लगवाए गए, शीत ऋतु में कोहरे में दृश्यता के अभाव होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के निर्मूलन हेतु मालवाहक वाहनों, ट्रैक्टर ट्रालियों में निशुल्क रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगवाए गए तथा राजमार्गों पर सड़क के किनारे वाहन खड़ा करके दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहनों को राजमार्ग के किनारो से हटवाया गया, न मानने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन की कार्यवाही भी की गई, इसके अतिरिक्त चित्रकूट शहर तथा सार्वजनिक मार्गों स्कूलों एवं सड़कों के किनारे वाहन खड़ा करके जाम का कारण बनने वाले वाहनों को हटवाया गया, चेतावनी दी गई साथ ही उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही भी की गई, तथा यातायात नियमों का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध निम्नलिखित प्रवर्तन की कार्यवाही किया गया ।

<u>यातायात माह नवम्बर 2025 मे किया गया प्रवर्तन की कार्यवाही का सम्पुर्ण विवरणः-</u>

1-हेलमेट न धारण करने के विरुद्ध - 5703
2-सीट बेल्ट न धारण करने के विरुद्ध - 492
3-वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने के विरुद्ध- 51
4-मादक द्रव्य का सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध - 89
5-अन्य यातायात नियमों के उल्लघंन करने के विरुद्ध-2139
कुल 8473 वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी।

(यातायात माह नवम्बर 2025 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दिनांकः01.11.2025 से 30.11.2025 तक की गयी कूल कार्यवाही का विवरणः- 1. संपूर्ण चालानः-8473, 2. संपूर्ण सीज वाहनः-59, 3.जमा जुर्मानाः-19686500/-) यातायात माह-2025, यातायात जागरूकता दौरान चित्रकूट पुलिस द्वारा 07 नुक्कड़ नाटकों के माध्यम

से 28 विद्यालयों,3074 छात्र/छात्राओं,8427 व्यक्ति/महिलाओं एवं 792 ऑटो/टैक्सी/ई-रिक्शा चालकों को जागरूक किया गया।

समापन के दौरान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ता सुश्री नीलम यादव, अखिलेश कुमार पांडे (प्रवक्ता), राजेश कुमार उपाध्याय(प्रवक्ता), डॉ0 गोरेलाल यादव (प्रवक्ता), सौरभ चंद सविता (प्रवक्ता), हेमसिंह (प्रवक्ता), शिव प्रसाद प्रवक्ता, मोहित कुमार (प्रवक्ता), अध्यपाकगण,कस्तूरबा गांधी स्कूल के छात्र/छात्राए सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।